कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर
संख्या : 145 दिनांक : 31.07.2015

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 102/सात–न्याय–2–2015–728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 9948/एडमिन'जी–1'/2015 दिनांकित 29.07.2015 में निहित दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिवार न्यायालय हेतु काउन्सिलर (परामर्शदाता) के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10.08.2015 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। काउन्सिलर (परामर्शदाता) की आबद्धता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :–

1. आवेदक उसी जिले से सम्बन्धित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की जावेगी
2. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
3. आवेदक की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा।
5. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

(उमेश सिंह)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर। 31/07/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

1. केन्द्रीय नाजिर, जजी, बलरामपुर।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. तहसील, बलरामपुर।
4. रोडवेज बस स्टेशन, बलरामपुर।
5. रेलवे स्टेशन, बलरामपुर।
6. विकास भवन, बलरामपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. नगरपालिका, बलरामपुर।
9. सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर को मा0 उच्च न्यायालय की बेबसाइट पर डिस्पले हेतु।

जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।